




राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.))



क्रमांक: आई.डी.एस.पी. / 2020 / 556

दिनांक: 21/5/2020

विभागाध्यक्ष माईक्रोबायोलॉजी,
समस्त मेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

विषय :- प्रवासी नागरिकों के सेम्पल पूल करने के दिशा निर्देश बाबत।

संदर्भ :- भारत सरकार के पत्रांक क्रमांक 2.28015/19/2020-ENR दिनांक 12.05.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न राज्यों से प्रवासी, राजस्थान में अपने घरों को आ रहे हैं। ऐसे सभी प्रवासी होम क्वारेन्टाइन और फेसिलिटि क्वारेन्टाइन में रह रहे हैं। इन प्रवासी व्यक्तियों की कोविड-19 सम्बन्धी सेम्पल पूल करने के लिए निम्न दिशा निर्देशों का पालन करें।

✓ पूल सेम्पलिंग का तरीका -

- हाई रिस्क ग्रुप के स्वस्थ व्यक्ति - एक ब्लॉक/वार्ड से इकट्ठे किए हुए हाई रिस्क ग्रुप के स्वस्थ व्यक्ति के सेम्पल का पूल बनाया जाये।
- एक ब्लॉक/वार्ड से आये सैम्पल्स का पूल बनाया जायेगा। सैम्पल का पूल बनाते हुए उनकी **Line List** में दी गयी **Travel History** के अनुसार पूल बनाया जाये। जैसे कि महाराष्ट्र से आये लोगों का पूल बनाया जाये एवं अन्य राज्यों से आये लोगों का सैम्पल का पूल अलग बनाया जाये।
- प्रवासी जिनको आई.एल.आई./SARI के लक्षण हैं उनका पूल नहीं बनाया जायेगा।

✓ लाइन लिस्ट अपडेट करने का तरीका -

- ब्लॉक/वार्ड अनुसार बनायी गयी लाइनलिस्ट में रिजल्ट को अपडेट करके दिये गये ईमेल rajasthan_idsp@yahoo.co.in एवं aajaiipur03@gmail.com आईडी पर भेजें।

उक्त गतिविधि से संबंधित अधिक जानकारी हेतु डॉ. रूचि, स्टेट माईक्रोबायोलॉजिस्ट (9785075176) से सम्पर्क करें।

संलग्न:- 1. उपरोक्तानुसार (फॉरमेट),
2. एस.ओ.पी.

अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी. / 2020 / 556


दिनांक: 21/5/2020

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकि. स्वा. एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), राजस्थान।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।



राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.))



6. स्टेट नोडल ऑफिसर, आईडीएसपी, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. डॉ. रूचि, स्टेट माईक्रोबायोलॉजिस्ट आईडीएसपी, राजस्थान।
10. कार्यालय प्रति।

अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

SOP for sample pooling

